आधार संबद्धता हेतु आवेदन एवं आधार आधारित सत्यापन के लिए सहमति – (एनपीसीआई मैपिंग)*

येस बैंक

दिनांक : | दि | दि | म | म | व | व | व | व |

प्रति,
शाखा प्रबंधक,
येस बैंक लि.

_____ **शाखा**

मैं _____ (खाताधारक का नाम), अपने आधार नंबर को मेरे प्रस्तावित/विद्यमान बैंक खाते से संबद्ध करना चाहता/चाहती हूँ.

आधार/यूआईडी पत्र के विवरण इस प्रकार हैं **(स्वप्रमाणित प्रति संलग्न) :**

आधार/यूआईडी नंबर :

आधार धारक का नाम (आधार अभिलेखों में अद्यतन किए अनुसार) :

2. मैं एतद् द्वारा मेरे सभी विद्यमान बैंक खातों और मेरी ग्राहक रूपरेखा के साथ मेरा आधार नंबर संबद्ध किए जाने हेतु अपनी स्वैच्छिक सहमति देता/देती हूँ.

खाता संख्या 1:

खाता संख्या 2:

खाता संख्या 3:

खाता संख्या 4:

(ग्राहक के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप)

3. मैं एतद् द्वारा उन सभी योजनाओं के अंतर्गत, जिनके लिए मैं पात्र हूँ शासकीय भुगतान और/या किन्हीं अन्य भुगतानों को आधार आधारित सूचना के उपयोग से प्राप्त करने हेतु मेरे संबद्ध आधार सक्षम बैंक खाते का उपयोग करने की अनुमति देता/देती हूँ और एनपीसीआई द्वारा एनपीसीआई के आधार मैपर में मेरे प्राथमिक खाते को मैप किया जा सकता है.

4. डीबीटी लाभ प्राप्त करने हेतु एनपीसीआई मैपर के लिए निम्नांकित में से किसी एक को चिन्हित करें :

☐ **मैं एनपीसीआई मैपर के साथ मेरी खाता सं.** | | | | | | | | | | | | | | | **को संबद्ध करना**

चाहता/चाहती हूँ जिससे मैं अपने उपरोक्त खाते में भारत सरकार (जीओआई) से एलपीजी अनुदान सहित अन्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्राप्त कर सकूँ. मैं यह समझता/समझती हूँ कि अगर मुझे एक से अधिक लाभों का अंतरण होना होगा, तो मुझे सभी लाभ अंतरण इसी खाते में प्राप्त होंगे. (उन ग्राहकों के लिए जिनके पास अब तक एनपीसीआई मैपर के साथ संबद्ध खाता नहीं है.)

☐ **मेरे पास पहले से ही _____ बैंक का खाता है जिसका आईआईएन नंबर** _____ **है और जो भारत सरकार से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्राप्त करने हेतु एनपीसीआई मैपर के साथ संबद्ध है. मैं आपसे मेरा एनपीसीआई मैपिंग (डीबीटी बेनिफिट अकाउंट) बदलकर आपकी बैंक के मेरे खाते से करने का अनुरोध करता/करती हूँ.**

☐ **मेरे पास पहले से ही _____ बैंक का खाता है जिसका आईआईएन नंबर** _____ **है और जो भारत सरकार से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्राप्त करने हेतु एनपीसीआई मैपर के साथ संबद्ध है. मैं अपने विद्यमान बैंक से अपने एनपीसीआई मैपिंग (डीबीटी बेनिफिट अकाउंट) को बदलना नहीं चाहता/चाहती हूँ.**

☐ **मैं आपके बैंक के साथ अपने खातों को एनपीसीआई मैपर के साथ संबद्ध नहीं करना चाहता/चाहती हूँ (मुझे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्राप्त नहीं होंगे).**

5. मैं एतद् द्वारा व्यक्त करता/करती हूँ और यह उत्तरदायित्व लेता/लेती हूँ कि मुझे आधार आधारित सत्यापन प्रणाली के साथ स्वयं के सत्यापन में कोई आपत्ति नहीं है और मैं आधार अधिनियम 2016 और उसके अंतर्गत गठित विनियमों के अंतर्गत खाते के परिचालन सहित बैंक सेवाएँ प्राप्त करने के उद्देश्य से और अनुदानों, लाभों और सेवाओं अथवा बैंकिंग परिचालनों से संबंधित अन्य सुविधाओं के प्रदाय हेतु मेरा आधार नंबर मेरे बैंक खाते से जोड़ने एवं आधार आधारित सत्यापन के लिए मेरी पहचान सूचना (आधार नंबर, बायोमेट्रिक जानकारी एवं जनसांख्यिकीय जानकारी) उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यकतानुसार अपनी स्वैच्छिक सहमति प्रदान करता/करती हूँ.

5. मुझे सूचना, जिसे सत्यापन पर साझा किया जा सकता है, की प्रकृति के बारे में समझा दिया गया है. मैं यह समझता/समझती हूँ कि यहाँ इसके साथ बैंक के पास जमा करवाई गई मेरी जानकारी का उपयोग उपरोक्त के अलावा किसी अन्य उद्देश्य से नहीं होगा, या कानून की आवश्यकता के अनुसार होगा.

7. मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा स्वैच्छिक रूप से दी गई समस्त उपरोक्त समस्त जानकारियाँ सत्य, सही एवं संपूर्ण है.

आपका,

(ग्राहक के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप)

नाम : _____

ग्राहक आईडी : _____

(अगर सहमति बीसी/बीडीओ/वीओ के माध्यम से भेजी गई है)

मैं एतद् द्वारा बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट को अधिकृत करता/करती हूँ

_____

मैं एतद् द्वारा सरपंच/वी.ओ./बी.डी.ओ. को अधिकृत करता/करती हूँ

_____

कि वह उपरोक्त सहमति पत्र बैंक के पास जमा करवाए.

(ग्राहक के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप)

*एनपीसीआई मैपिंग: मैपिंग किसी बैंक को आधार नंबर के साथ सहबद्ध करने की एक प्रक्रिया है, जो उस संबंधित बैंक को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए एनपीसीआई द्वारा सुसाध्य किया जाता है, जिसने डायरेक्ट बेनिफिट प्राप्त करने हेतु किसी विशिष्ट बैंक खाते से आधार नंबर को संबद्ध किया है, जिसके लिए ग्राहक ने सहमति दी है.

**आईआईएन नंबर आधार संबद्ध करने हेतु सहमति आवेदन प्राप्त करने वाले बैंक द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा.